अध्याय - 1

अध्याय-1

1 राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों का क्रियाकलाप

परिचय

1.1 31 मार्च 2017 को झारखण्ड में 24 राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम (सा.क्षे.उ.) ***(परिशिष्ट 1.1)***, सभी सरकारी कंपनियाँ थीं जो तालिका सं 1.1 में दर्शाया गया है:

तालिका सं. 1.1 31 मार्च 2017 को सा.क्षे.उ. की संख्या

सा.क्षे.उ. के प्रकार	कार्यशील सा.क्षे.उ.	अकार्यशील सा.क्षे.उ.[1]	कुल
सरकारी कंपनियाँ[2]	21	3	24
कुल	**21**	**3**	**24**

उपरोक्त सा.क्षे.उ. में से, 31 दिसम्बर 2017 को 9 कार्यशील सा.क्षे.उ. तथा 1 अकार्यशील सा.क्षे.उ. ने वर्ष 2014-15 से 2016-17 के लिए अपने लेखाओं को अन्तिमीकृत किया था ***(परिशिष्ट 1.2)***। इन 10 सा.क्षे.उ. के अद्यतन अन्तिमीकृत लेखाओं के अनुसार, पाँच सा.क्षे.उ. ने ₹ 22.98 करोड़ का लाभ कमाया तथा पाँच सा.क्षे.उ. ने ₹ 1,700.73 करोड़ की हानि उठाई। अपने अद्यतन अन्तिमीकृत लेखाओं के अनुसार, इन सा.क्षे.उ. ने 31 दिसम्बर 2017 तक ₹ 4,052.92 करोड़ का आवर्त दर्ज किया।

इन 10 सा.क्षे.उ. ने राज्य सरकार के विनियोग (अंश एवं ऋण) पर 18.34 प्रतिशत औसत नकारात्मक प्रतिफल अर्जित किया। इसके मुकाबले, वर्ष 2014-15 से 2016-17 के अवधि में राज्य सरकार से ली गई ऋण का औसत लागत दर 6.87 प्रतिशत थी। इस प्रकार, 10 सा.क्षे.उ. जिन्होंने अपने विगत तीन वर्षों के लेखाओं को अन्तिम रूप दिया था, में निवेश के परिणामस्वरूप राजकोष को ₹ 2,092.21 करोड़[3] की हानि हुई। शेष 14 सा.क्षे.उ. जिन्होंने अपने लेखाओं का अंतिमीकरण नहीं किया, की हानि, यदि हो तो उसका आकलन नहीं किया जा सका।

---

[1] वे सा.क्षे.उ. जिसमें विगत 3 वर्षों से अधिक अवधि में कोई परिचालन क्रियाकलाप नहीं थी

[2] कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 2(45), 139(5) और 139(7) में संदर्भित कंपनियाँ

[3] सा.क्षे.उ. के अभिलेख के आधार पर

31 मार्च 2017 को, 21 कार्यशील सा.क्षे.उ. में 5,473 कर्मचारी थे और तीन अकार्यशील सा.क्षे.उ. में कोई कर्मचारी नहीं[4] था। इन तीन अकार्यशील सा.क्षे.उ. के कंपनियों में पिछले तीन वर्षों से अधिक अवधि में कोई क्रियाकलाप नहीं हुआ और इसमें 31 मार्च 2017 को ₹ 35.75 करोड़ (अंश: ₹ 0.78 करोड़ और ऋण: ₹ 34.97 करोड़) निवेशित था।

अनुशंसा

चूँकि हानि वहन करने वाले एवं अकार्यशील सा.क्षे.उ. के अस्तित्व लगातार बने रहने से राजकोष से काफी राशि की बर्बादी होती है, राज्य सरकार (i) सभी हानि वहन करने वाले सा.क्षे.उ. के क्रियाकलाप की समीक्षा कर सकती है, और (ii) अकार्यशील सा.क्षे.उ. के समापन की संभावना की जाँच कर सकती है।

उत्तरादायित्व रूपरेखा

1.2 सरकारी कंपनियों की लेखापरीक्षा कंपनी अधिनियम 2013 (अधिनियम) की धारा 139 और 143 द्वारा अधिशासित होते हैं। भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (सीएजी) सनदी लेखाकारों (सीए) की नियुक्ति वैधानिक लेखापरीक्षक के रूप में करती है और स्वयं इन कंपनियों की पूरक लेखापरीक्षा करती है।

नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन सरकार को समर्पित किया जाता है और सरकार इसे सीएजी के (कर्तव्य, शक्तियाँ एवं सेवा शर्तें) अधिनियम, 1971 की प्रावधानों के तहत विधायिका के समक्ष प्रस्तुत करती है।

1.3 झारखण्ड सरकार के संबंधित प्रशासकीय विभागों द्वारा इन सा.क्षे.उ. के मामलों पर नियंत्रण रखा जाता है और इनके मुख्य कार्यपालक एव निदेशक मंडल में निदेशकों की नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा की जाती है।

झारखण्ड सरकार की हिस्सेदारी

1.4 सा.क्षे.उ. में राज्य सरकार की हिस्सेदारी तीन व्यापक श्रेणियों के अन्तर्गत आती है, यथा अंशपूँजी एवं ऋण, उपभोक्ताओं को अनुदान एवं अर्थसहाय्य के रूप में विशिष्ट बजटीय सहायता एवं सा.क्षे.उ. द्वारा वित्तीय संस्थानों से लिए गए ऋणों की प्रत्याभूति।

[4] होल्डिंग कंपनी (झारखण्ड ऊर्जा उत्पादन निगम लिमिटेड) के कर्मचारी 3 अकार्यशील कंपनियाँ के कार्यों की देखभाल करती है।

राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों में निवेश

1.5 31 मार्च 2017 को 24 राज्य सा.क्षे.उ. में राज्य सरकार, केन्द्र सरकार एवं अन्य के द्वारा ₹ 10,753.32[5] करोड़ के निवेश (अंश पूँजी एवं दीर्घावधि ऋण) था जिसका विवरण नीचे तालिका सं. 1.2 में दिया गया है। (विस्तृत विवरण ***परिशिष्ट 1.1*** में दिया गया है)।

तालिका सं. 1.2: सा.क्षे.उ. में 31 मार्च 2017 को कुल निवेश

(₹ करोड़ में)

सा.क्षे.उ. के प्रकार	अन्तिमीकृत लेखों की विवरणी	अंश			दीर्घावधि ऋण			कुल योग
		राज्य सरकार	अन्य[6]	कुल	राज्य सरकार	अन्य[7]	कुल	
कार्यशील सा.क्षे.उ.	2014-15 से 2016-17[8]	100.54	6.30	106.84	9,382.30	324.43	9,706.73	9,813.57
	2014-15 से पूर्व	186.30	0.00	186.30	717.61	0.09	717.70	904.00
उप कुल		**286.84**	**6.30**	**293.14**	**10,099.91**	**324.52**	**10,424.43**	**10,717.57**
अकार्यशील सा.क्षे.उ	2014-15 to 2016-17	0.0	0.05	0.05	19.45	0.00	19.45	19.50
	2014-15 से पूर्व	0.00	0.73	0.73	15.52	0.00	15.52	16.25
उप कुल		**0.00**	**0.78**	**0.78**	**34.97**	**0.00**	**34.97**	**35.75**
कुल		**286.84**	**7.08**	**293.92**	**10,134.88**	**324.52**	**10,459.40**	**10,753.32**

स्रोत: लेखापरीक्षित लेखाओं/सा.क्षे.उ. के द्वारा दी गई सूचना के अनुसार

1.6 31 मार्च 2017 को राज्य सा.क्षे.उ. में प्रक्षेत्रवार निवेशों की सार तालिका सं. 1.3 में दी गई है।

[5] सा.क्षे.उ. के अभिलेखों के आधार पर

[6] राज्य सरकार के दो हाल्डिंग कंपनियों के द्वारा उनके छः सहायक कंपनियों में ₹ 7.08 करोड़ के निवेश शामिल

[7] केन्द्र सरकार एवं वित्तीय संस्थानों से प्राप्त ऋण शामिल

[8] न्यूनतम 2014-15 तक की अन्तिमीकृत लेखें

तालिका सं. 1.3: सा.क्षे.उ. में प्रक्षेत्रवार निवेश							
प्रक्षेत्र का नाम	कार्यशील सा.क्षे.उ.		अकार्यशील सा.क्षे.उ.		कुल	कुल निवेश (₹ करोड़ में)	अंतिम 5 वर्षों में (₹ करोड़ में)
	तीन वर्षों के लेखा सहित	तीन वर्षों के लेखा बिना	तीन वर्षों के लेखा सहित	तीन वर्षों के लेखा बिना			
ऊर्जा	3	1	1	1	6	10,524.48	9,742.47
सेवा	1	5	0	0	6	82.46	22.00
वित्त	0	1	0	0	1	3.34	3.34
विनिर्माण	1	1	0	0	2	15.60	3.97
अन्य	3	4	0	0	7	127.44	56.64
कुल	**8**	**12**	**1**	**1**	**22**	**10,753.32**	**9,828.42**
स्रोत: लेखापरीक्षित लेखाओं/सा.क्षे.उ. के द्वारा दी गई सूचना के अनुसार							

सा.क्षे.उ. में राज्य सरकार के निवेश का जोर मुख्यत: ऊर्जा क्षेत्र की तीन कंपनियों[9] में था। ऊर्जा क्षेत्र के कंपनियों[10] में राज्य सरकार द्वारा कुल निवेश ₹ 10,196.57 करोड़ (₹ 113.40 करोड़ अंश और ₹ 10,083.17 करोड़ ऋण) था जिसमें ₹ 9,425.67 करोड़ (₹ 8.40 करोड़ अंश और ₹ 9,417.27 करोड़ ऋण) 2012-17 के दौरान किया गया।

1.7 वित्त लेखें और सा.क्षे.उ. के अभिलेखों में सरकार के अंशों एवं ऋणों में दर्शाये गए आकड़ों में अन्तर को नीचे तालिका सं. 1.4 में दिया गया है।

तालिका सं. 1.4: 31 मार्च 2017 को अंश एवं लंबित ऋण (₹ करोड़ में)			
निवेश	वित्त लेखों के अनुसार	सा.क्षे.उ. के अभिलेखों के अनुसार[11]	अन्तर
अंश	72.80	286.84	214.04
ऋण	9,476	10,134.88	658.88
स्रोत: सा.क्षे.उ. द्वारा दी गई सूचना तथा वित्त लेखें, झारखण्ड सरकार 2016-2017 के अनुसार			

[9] झारखण्ड बिजली वितरण निगम लिमिटेड, झारखण्ड ऊर्जा संचरण निगम लिमिटेड एवं तेनुघाट विद्युत निगम लिमिटेड।

[10] सा.क्षे.उ. के निवेश का विवरण परिशिष्ट 1.1 के क्रम संख्या अ 11 से अ 15 एवं ब 1 से ब 3 में दिया गया है।

[11] सा.क्षे.उ. के सितम्बर 2017 तक अन्तिमीकृत अद्यतन लेखें के अनुसार झारखण्ड का वर्ष 2016-17 के लिए वित्त लेखों की अन्तिमीकरण के समय पर।

अनुशंसा

वित्त विभाग, संबंधित प्रशासनिक विभाग तथा सा.क्षे.उ., समयवद्ध तरीके से राशि में अन्तर का समाशोधन करने के लिए महालेखाकर (ए एवं ई) के साथ मिलकर शीघ्र कदम उठायें।

1.8 सा.क्षे.उ. में सरकार के हिस्सेदारी की स्थिति तालिका सं. 1.5 में वर्णित है।

तालिका सं. 1.5: सा.क्षे.उ. में सरकार के हिस्सेदारी की स्थिति

(₹ करोड़ में)

विवरण	सा.क्षे.उ. की संख्या	राशि
अकार्यशील सा.क्षे.उ. जहाँ कोई व्यय नहीं है	3[12]	0.00
सा.क्षे.उ. में झारखण्ड सरकार के लंबित ऋण जिस पर ऋण का पुनर्भुगतान या ब्याज का भुगतान विगत तीन वर्षों से नहीं किया गया	5[13]	10,033.17

स्रोत: सा.क्षे.उ. के द्वारा दी गई सूचना एवं वित्त लेखा 2016-17

अनुशंसा

चूँकि पाँच सा.क्षे.उ., जिन्होंने अभी तक ब्याज का भी भुगतान नहीं किया गया है, के द्वारा ऋण के वापसी की संभावना नगण्य है, अगर अस्तित्वहीन नहीं भी है; इसलिए राज्य सरकार को पुराने ऋणों को अंश पूँजी में परिवर्तित करने या उसकी माफी पर विचार करना चाहिए। इन कंपनियों को अगर भविष्य में कोई भुगतान करना हो तो उसे अनुदान के रूप में देना चाहिए जब तक कि इनमें से कम से कम कुछ सा.क्षे.उ. को बन्द करने की समीक्षा नहीं हो जाती।

लेखाओं के अन्तिमीकरण में बकाये

1.9 कंपनी अधिनियम 2013 के अुनसार कंपनियों के प्रत्येक वार्षिक वित्तीय विवरणी का अन्तिमीकरण संबंधित वित्तीय वर्ष की समाप्ति के छः महीने के अन्दर अर्थात सितम्बर के अन्त तक करना होता है। ऐसा नहीं करने पर अधिनियम में दण्ड का प्रावधान है, जिसमें संबंधित कंपनी का प्रत्येक अधिकारी को, जो ऐसा चूक करता है, एक साल तक के कारावास की सजा या न्यूनतम पचास हजार का जुर्माना जो बढ़ाकर ₹ पाँच लाख तक किया जा सकता है, या दोनों हो सकता है।

[12] परिशिष्ट 1.1 के क्र. सं. ब 1 से ब 3 तक

[13] परिशिष्ट 1.1 के क्र.स. अ 11, अ 14, अ 15, ब 1 एवं ब 2

31 दिसम्बर 2017 को 19 कार्यशील कंपनियों के लेखें का बकाया 8 साल की अवधि तक था जिसे ***परिशिष्ट 1.3*** में दर्शाया गया है। लेखों के अन्तिमीकरण में विलम्ब के फलस्वरूप एक निर्धारित समय के बाद महत्वपूर्ण अभिलेख (रिकार्ड) अनुपलब्ध हो जाते हैं या नष्ट हो जाते है; जिसके कारण तथ्यों की गलत प्रस्तुतीकरण, धोखाधड़ी और दुरूपयोग की जोखिम बनी रहती है।

कुल 21 कार्यशील सा.क्षे.उ. में से केवल 2 सा.क्षे.उ.[14] ने 2016-17 के लेखें का अन्तिमीकरण किया और बाकी 19 सा.क्षे.उ. के 54 लेखें[15] बकाया है। लेखों के बकाये की अवधि इन 19 सा.क्षे.उ. में से सात सा.क्षे.उ. में एक वर्ष, 10 सा.क्षे.उ. में दो से पाँच वर्ष और दो सा.क्षे.उ. में पाँच वर्षों से अधिक था जिसे ***परिशिष्ट 1.3*** में दर्शाया गया है।

19 कार्यशील कंपनियाँ जिनके लेखें बकाया हैं, के निदेशक जो कंपनी अधिनियम के प्रावधानों के अधीन सजा पाने का हकदार हैं, का विवरण ***परिशिष्ट 1.4 (अ)*** और ***1.4 (ब)*** में दिया गया है।

1.10 उपर्युक्त के अतिरिक्त, 31 दिसम्बर 2017 को सभी तीन अकार्यशील सा.क्षे.उ. के लेखें बकाए थें जो तालिका सं. 1.6 में वर्णित है।

तालिका सं. 1.6: अकार्यशील सा.क्षे.उ. के लेखों का बकाया

वर्ष	अकार्यशील सा.क्षे.उ. की संख्या	बकाया लेखों की संख्या	वर्ष जिनके लिए लेखें बकाये में	वर्षों की संख्या जिसके लेखें बकाये थे
2014-15	3	16	2008-09 से 2014-15	3 से 7
2015-16	3	19	2008-09 से 2015-16	4 से 8
2016-17	3	15	2009-10 से 2016-17	1 से 8

1.11 राज्य सरकार ने 12 कार्यशील सा.क्षे.उ. में ₹ 2,659.56 करोड़ {अंश ₹ 78.25 करोड़ (नौ सा.क्षे.उ.), ऋण: ₹ 1,273.80 करोड़ (चार सा.क्षे.उ.), अन्य (सहाय्य एवं राजस्व अनुदान) ₹ 1,307.51 करोड़ (तीन सा.क्षे.उ.)} का बजटीय सहायता उन वर्षों में प्रदान किया था, जिन वर्षों में उनके लेखें का अन्तिमीकरण नहीं हुआ था, जो परिशिष्ट 1.5 में दर्शाया गया है। इसमें से, ₹ 208.22 करोड़ की बजटीय सहायता उन छः कार्यशील सा.क्षे.उ. को दिया गया जिनके लेखें तीन वर्षों से अधिक की अवधि के लिए बकाये थे, जिसमें से

[14] परिशिष्ट 1.1 का क्र.सं अ 6, अ 9

[15] एक लेखा प्रति वर्ष की दर पर

₹ 36.00 करोड़ 2016-17 के अवधि के दौरान 2 सा.क्षे.उ.[16] को दिया गया था।

इसके अलावा, राज्य सरकार ने एक अकार्यशील सा.क्षे.उ. (कर्णपुरा एनर्जी लिमिटेड) को ₹ 15.52 करोड़ का बजटीय सहायता ऋण के रूप मे उस अवधि के दौरान दिया था, जिसमें उसके लेखों का अन्तिमीकरण नहीं हुआ था, जैसा ***परिशिष्ट 1.5*** में दर्शाया गया है। राज्य सरकार किस आधार पर उस कंपनी से मूलधन की वापसी तथा उस पर ब्याज के भुगतान की आशा रखती है यह स्पष्ट नहीं है।

राज्य सरकार द्वारा बकाया लेखें वाले उपर्युक्त सा.क्षे.उ. को बजटीय सहायता के विस्तार का निर्णय अविवेकपूर्ण था क्योंकि राज्य सरकार के पास इन पाँच सा.क्षे.उ. के वित्तीय सुदृढ़ता को आकलित करने का कोई आधार नहीं था। उक्त तथ्य इस स्थिति से स्पष्ट होता है कि जिन पाँच सा.क्षे.उ. द्वारा राजकीय ऋण प्राप्त किया गया था उनके द्वारा ब्याज का भुगतान विगत तीन वर्षों के दौरान नहीं किया गया था।

अनुशंसाएँ

1. **वित्त विभाग और संबंधित प्रशासनिक विभाग को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि राज्य सा.क्षे.उ. अपने लेखों को अद्यतन करने हेतु शीघ्र कदम उठाये, ताकि इन सा.क्षे.उ. के निदेशक कपंनी अधिनियम का निरन्तर उल्लंघन बंद करे।**

2. **वित्त विभाग और संबंधित प्रशासनिक विभाग को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि बजटीय सहायता का विस्तार उन सा.क्षे.उ. को नहीं किया जाए जिनके लेखें अद्यतन नहीं हैं।**

अद्यतन अन्तिमीकृत लेखें के अनुसार सा.क्षे.उ. का कार्य निष्पादन

1.12 2014-15 से 2016-17 की अवधि के दौरान अपने लेखें का अन्तिम रूप देने वाले नौ कार्यशील सा.क्षे.उ.[17] ***(परिशिष्ट 1.6)*** के कार्य निष्पादन के आकलन हेतू उपयोग किये गये प्रमुख वित्तीय अनुपात तालिका संख्या 1.7 में दिये गये हैं।

[16] झारखण्ड पर्यटन विकास निगम लिमिटेड और झारखण्ड शहरी आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड

[17] वित्तीय अनुपात अकार्यशील सा.क्षे.उ. और वे सा.क्षे.उ. जिसके लेखा अद्यतन नहीं है की गणना नहीं की जा सकती है।

तालिका सं. 1.7: कार्यशील सा.क्षे.उ. के प्रमुख मापदण्ड					
विवरण	**मुख्य मापदण्ड (प्रतिशत में)**	**2014-15**	**2015-16**	**2016-17**	**औसत**
लाभ अर्जित करने वाली सा.क्षे.उ.	नियोजित पूँजी पर प्रतिफल[18]	46.90	10.26	22.21	26.45
	निवेश पर प्रतिफल[19]	46.90	10.26	22.21	26.45
	अंश पर प्रतिफल[20]	18.55	6.97	15.35	13.62
हानि वहन करने वाली सा.क्षे.उ.	नियोजित पूँजी पर प्रतिफल	-69.93	-26.31	--	-48.12
	निवेश पर प्रतिफल	-69.93	-26.31	--	-48.12
	अंश पर प्रतिफल	8,277.70	--*	--	-4138.85
कुल सा.क्षे.उ.	नियोजित पूँजी पर प्रतिफल	-51.54	-25.49	22.21	-18.34
	निवेश पर प्रतिफल	-51.54	-25.49	22.21	-18.34
	अंश पर प्रतिफल	-360.36	-1256.80	15.35	-533.94
उधारी की लागत		7.22	6.63	6.76	6.87

स्रोत: सा.क्षे.उ. के अन्तिमीकृत लेखें के आधार पर उपलब्ध सूचना
*अंशधारियों की निधि का नकारात्मक शेष के कारण अंश पर प्रतिफल की गणना नहीं हो सकता है।

1.13 लाभ में प्रमुख योगदान देने वाले झारखण्ड राज्य बेवरेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड (₹ 11.95 करोड़) और झारखण्ड पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड (₹ 6.02 करोड़) थे। इन कंपनियों का निवेश पर प्रतिफल 2014-17 के दौरान 21.02 प्रतिशत से 249.47 प्रतिशत के बीच था। नवीनतम अन्तिमीकृत लेखों के अनुसार, अधिक हानि वहन करने वाले सा.क्षे.उ में झारखण्ड बिजली वितरण निगम लिमिटेड (₹ 1,598.83 करोड़) और झारखण्ड ऊर्जा संचरण निगम लिमिटेड (₹ 97.24 करोड़) था।

1.14 राज्य सरकार ने सा.क्षे.उ. के लिए कोई लाभांश नीति नहीं बनाई है। फलस्वरूप, यद्यपि अन्तिमीकृत लेखों के आधार पर पाँच सा.क्षे.उ.[21] जिसमें सरकारी अंश ₹ 128.11 करोड़[22] था, कुल ₹ 22.98 करोड़ का लाभ अर्जित किया, परन्तु किसी भी कंपनी ने लाभांश की घोषणा नहीं की।

---

[18] नियोजित पूँजी पर प्रतिफल (आरओसीई) = (लाभांश ब्याज और कर के पहले शुद्ध लाभ/हानि)/ नियोजित पूँजी जहाँ नियोजित पूँजी = निवेश - स्थगित राजस्व व्यय (डीआरई)। चूँकि 2014-17 के दौरान सा.क्षे.उ. में कोई डीआरई नहीं थे इसलिए आरओसीई एवं आरओआई समान थे।

[19] निवेश पर प्रतिफल (आरओआई) (ब्याज कर लाभांश के पहले शुद्ध लाभ)/निवेश

[20] अंश पर प्रतिफल (आरओई) = (कर के बाद शुद्ध लाभ - पूर्वाधिकार लाभांश)/अंशधारियों का निधि

[21] झारखण्ड पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड, झारखण्ड सिल्क टेक्सटाइल एवं हैन्डीक्राफ्ट डेवल्पमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, झारखण्ड राज्य बेवरेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड ग्रेटर राँची विकास एजेंसी लिमिटेड और झारखण्ड इन्ड्रस्टीयल इन्फ्रास्ट्रक्चर विकास निगम लिमिटेड

[22] अंतिम अन्तिमीकृत लेखें के आधार पर अंशधारीयों का निधि

अनुशंसा

वित्त विभाग लाभ अर्जित करने वाले सा.क्षे.उ. में नियोजित अंश पूँजी पर विनिर्दिष्ट लाभांश के भुगतान हेतु उत्तर प्रदेश सरकार (अंश पूँजी का 5 प्रतिशत) और मध्य प्रदेश सरकार (कर के बाद लाभ का 20 प्रतिशत) के परिपाटी के आधार पर लाभांश नीति तैयार कर सकती है।

1.15 कंपनी अधिनियम 2013 यह निर्धारित करता है कि प्रत्येक कपंनी के निदेशक मण्डल की एक वर्ष में कम से कम चार वार्षिक बैठकें हों। हालांकि, यह अवलोकन किया गया की 21 कार्यशील सा.क्षे.उ में से 17 सा.क्षे.उ. ने 2014-17 के दौरान चार से कम बैठकों का आयोजन किया जिसका विवरण तालिका सं. 1.8 में दिया गया है।

तालिका सं. 1.8: सा.क्षे.उ. जिनके द्वारा बैठकों की आयोजन में कमी हुई

वर्ष	बैठकों के आयोजन में कमी की संख्या	सा.क्षे.उ की संख्या	सा.क्षे.उ के नाम परिशिष्ट 1.1 में क्रम संख्या
2014-15	4	04	अ 3, अ 5, अ 19, अ 20
	3	02	अ 18, अ 21
	2	02	अ 10, अ 16
	1	07	अ 1, अ 2, अ 4, अ 6, अ 7, अ 9, अ 17
2015-16	4	02	अ 5, अ 19
	3	03	अ 3, अ 4, अ 20
	2	05	अ 1, अ 7, अ 8, अ 11, अ 17
	1	05	अ 2, अ 9, अ 10, अ 16, अ 21
2016-17	3	07	अ 1, अ 3, अ 4, अ 5, अ 7, अ 17, अ 19
	2	03	अ 8, अ 16, अ 18
	1	05	अ 2, अ 9, अ 11, अ 20, अ 21

लेखों पर टिप्पणियाँ

1.16 सोलह[23] कार्यशील सा.क्षे.उ. ने 34 अंकेक्षित लेखों को वर्ष 2016-17[24] के दौरान महालेखाकर को प्रेषित किया, जिसमें से 12 कंपनियों के 27 लेखों को पूरक लेखापरीक्षा के लिए चयनित किया गया। सीएजी द्वारा नियुक्त वैधानिक लेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन एवं सीएजी की पूरक लेखापरीक्षा यह इंगित करता है कि लेखाओं के रखरखाव की गुणवत्ता में

[23] परिशिष्ट 1.1 का क्रं सं. अ 2, अ 5, अ 6, अ 7, अ 8, अ 9, अ 10, अ 11, अ 12, अ 13, अ 14, अ 15, अ 16, अ 17, अ 22 और ब 3

[24] अक्टूबर 2016 से दिसम्बर 2017 के अवधि के दौरान

सुधार की काफी आवश्यकता है। वैधानिक लेखापरीक्षक और सीएजी के टिप्पणियों की कुल मौद्रिक मूल्य तालिका सं. 1.9 में दी गई है।

तालिका सं. 1.9: कार्यशील कंपनियों पर लेखापरीक्षा टिप्पणियों का प्रभाव

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	2014-15		2015-16		2016-17	
		लेखाओं की संख्या	राशि	लेखाओं की संख्या	राशि	लेखाओं की संख्या	राशि
1.	लाभ में वृद्धि	-	-	2	0.94	2	10.41
2.	लाभ में कमी	3	6.65	7	9.46	6	28.47
3.	हानि में वृद्धि	1	2.10	7	14.68	8	1,506.80
4.	हानि में कमी	7	267.99	5	452.46	7	409.04
5.	महत्वपूर्ण तथ्यों का अप्रकटीकरण	5	-	9	-	16	-

वर्ष के दौरान, वैधानिक लेखापरीक्षकों ने 12 कार्यशील कंपनियों द्वारा अन्तिमीकृत 21 लेखाओं पर दोषपूर्ण प्रमाण पत्र दिये। कंपनियों द्वारा लेखांकन मानकों का अनुपालन असंतोषजनक रहा क्योंकि सात[25] कंपनियों के 11 लेखाओं पर 36 मामलों में लेखांकन मानकों का अनुपालन नहीं किया गया।

अनुशंसा

वित्त विभाग तथा संबंधित प्रशासनिक विभागों को तुरन्त उन 12 कंपनियों के क्रियाकलापों की समीक्षा करनी चाहिए जहाँ वैधानिक लेखापरीक्षकों ने दोषपूर्ण प्रमाण-पत्र/या राय दिए थे

लेखापरीक्षा के प्रति सरकार की प्रतिक्रिया

लेखापरीक्षा कण्डिकाएँ

1.17 पाँच लेखापरीक्षा कण्डिकाओं को कंपनी प्रबंधन एवं संबंधित विभागों के प्रधान सचिव/सचिव को, चार सप्ताह के अन्दर उत्तर उपलब्ध कराने के आग्रह के साथ जारी किए गए थे (जुलाई 2017 से मार्च 2018)। पाँच कण्डिकाओं में से चार कण्डिकाओं पर विभाग से जबाव अप्राप्त था (जून 2018)।

[25] परिशिष्ट 1.1 के क्र.सं. अ 10 से अ 15 तक और अ 17

लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर उत्तरवर्ती क्रिया

उत्तर प्रतिक्षित

1.18 भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (सीएजी) के प्रतिवदेन लेखापरीक्षा जाँच की प्रक्रिया की परिणति को प्रदर्शित करता है। अत: यह आवश्यक है कि इनपर कार्यपालिका की उचित एवं ससमय प्रतिक्रिया प्राप्त हो। वित्त विभाग, झारखण्ड सरकार ने सभी प्रशासकीय विभागों को निर्देश दिया (नबंवर 2015) कि भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदनों में शामिल कण्डिकाओं/ समिक्षाओं के उत्तर/व्याख्यात्मक टिप्पणियाँ विधायिका में प्रस्तुती के तीन महीने के अन्दर सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम समिति (कोपू) के प्रश्नावली की प्रतीक्षा किये बगैर प्रेषित करना सुनिश्चित करे। अप्राप्त स्पष्टीकरण टिप्पणी की स्थिति तालिका सं. 1.10 में दर्शाया गया है।

तालिका संख्या 1.10: अप्राप्त स्पष्टीकरण टिप्पणियां (30 जून 2018 तक)

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की वर्ष (सा.क्षे.उ.)	लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के राज्य विधायिका में प्रस्तुतीकरण की तिथि	लेखापरीक्षा प्रतिवदेन में निष्पादन लेखापरीक्षा (पीए) एवं कण्डिकाओं की संख्या		कुल निष्पादन लेखापरीक्षा/कंडिका जिन पर स्पष्टीकरण टिप्पणियां अप्राप्त थी	
		पीए	कंडिकाएँ	पीए	कंडिकाएँ
2005-06	4 अप्रैल 2007	1	3	-	1
2006-07	26 मार्च 2008	1	6	1	5
2007-08	10 जुलाई 2009[26]	1	8	1	6
2008-09	13 अगस्त 2010	1	4	1	2
2009-10	29 अगस्त 2011	1	6	1	1
2010-11	06 सितम्बर 2012	1	3	-	-
2011-12	27 जुलाई 2013	1	5	-	3
2012-13	05 मार्च 2014	1	5	-	2
2013-14	26 मार्च 2015	1	6	-	3
2014-15	15 मार्च 2016	2	5	-	1
2015-16	12 अगस्त 2017	2	6	-	5
कुल		**13**	**57**	**4**	**29**

अनुशंसा

संबंधित प्रशासनिक विभागों को वित्त विभाग के निर्देशों (नवम्बर 2015) का अनुपालन सुनिश्चित करना चाहिए और लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर प्रतिक्रिया ससमय प्रेषित करनी चाहिए।

[26] संसद में प्रस्तुत

कोपू द्वारा लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर विचार विमर्श

1.19 30 जून 2018 को लेखापरीक्षा प्रतिवदेन (सा.क्षे.उ.) में उजागर एवं कोपू द्वारा विचार विमर्श की गई निष्पादन लेखापरीक्षा एवं कण्डिकाओं की स्थिति को तालिका सं. 1.11 में दर्शाया गया है।

तालिका सं. 1.11: लेखापरीक्षा प्रतिवदेन में उजागर निष्पादन लेखापरीक्षा/कण्डिका जिन पर परिचर्चा की गई (30 जून 2018 तक)

निष्पादन लेखापरीक्षा/कण्डिकाओं की संख्या				
लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का वर्ष	लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में शामिल		कण्डिकाएँ जिन पर चर्चा हुई	
	निष्पादन लेखापरीक्षा	कंडिका	निष्पादन लेखापरीक्षा	कंडिका
2004-05	2	1	2	1
2005-06	1	3	1	2
2006-07	1	6	-	1
2007-08	1	8	-	2
2008-09	1	4	-	2
2009-10	1	6	-	5
2010-11	1	3	1	3
2011-12	1	5	1	2
2012-13	1	5	1	3
2013-14	1	6	1	3
2014-15	2	5	2	4
2015-16	2	6	2	1
कुल	**15**	**58**	**11**	**29**

कोपू के प्रतिवेदनों का अनुपालन

1.20 अगस्त 2006 और जनवरी 2017 की अवधि के बीच में राज्य विधायिका में प्रस्तुत कोपू[27] के 10 प्रतिवेदनों में शामिल 15 कण्डिकाओं से संबंधित कार्यवाही टिप्पणियाँ (एटीएन) अप्राप्त (जून 2018) थे जैसा तालिका संख्या 1.12 में दर्शाया गया है। ये कोपू प्रतिवेदन 2002-03 से 2005-06 और 2010-11 के अवधि के लिए सीएजी के लेखापरीक्षा प्रतिवदनों से संबंधित है। वर्ष 2006-07 से 2009-10 एवं वर्ष 2011-12 और उसके आगे के लेखापरीक्षा प्रतिवदनों पर कोपू का प्रतिवदेन अभी तक (जून 2018) प्रस्तुत नहीं किया गया है।

[27] वर्ष 2002-03 से 2005-06 और 2010-11 के लिए सीएजी के प्रतिवेदन में दिखाये गये ऊर्जा विभाग, झारखण्ड सरकार से संबंधित

तालिका संख्या 1.12: कोपू प्रतिवेदनों का अनुपालन			
लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का वर्ष	कोपू प्रतिवेदन की कुल संख्या	कोपू प्रतिवेदन में अनुशंसा की कुल संख्या	अनुशंसाएँ जिन पर कार्रवाई टिप्पणियाँ अप्राप्त था
2002-03	1	1	1
2003-04	1	1	1
2004-05	4	5	2
2005-06	3	10	10
2010-11	1	1	1
कुल	**10**	**18**	**15**
स्रोत: लेखापरीक्षा द्वारा अभिकलित आंकड़े			

अनुशंसा

राज्य सरकार को सुनिश्चित करना चाहिए की कोपू प्रतिवेदनों पर एटीएन प्रस्तुत करने के मामले में शीघ्र अनुपालन हो।

राज्य के पुनर्गठन के परिणामस्वरूप सा.क्षे.उ. की पुन: संरचना

1.21 15 नवम्बर 2000 से पूर्ववर्ती बिहार राज्य के बिहार और झारखण्ड राज्यों में पुनर्गठन के परिणामस्वरूप 12 सा.क्षे.उ. की सम्पतियों एवं दायित्वों के बँटवारे का निर्णय (सितम्बर 2005) लिया गया था जिसका विवरण ***परिशिष्ट 1.7*** में दिया गया है। हालांकि, दिसम्बर 2017 तक इसका क्रियान्वयन मात्र पाँच सा.क्षे.उ.[28] के संबंध में ही पूरा किया गया था।

अनुशंसा

चूँकि राज्य के पुनर्गठन के बाद लगभग दो दशक बीत चूके हैं, राज्य सरकार को बिहार सरकार के साथ मिलकर उन सात सा.क्षे.उ. के सम्पतियों एवं दायित्वों के त्वरित बँटवारे हेतू आवश्यक कार्रवाई करनी चाहिए जिनमें 15 नवम्बर 2000 तक ₹ 132.36 करोड़ का सरकारी निवेश था।

उज्जवल डिस्कॉम आश्वासन योजना (उदय) के अर्न्तगत ऊर्जा क्षेत्र मे सुधार

1.22 राज्य बिजली वितरण कंपनियों के परिचालन एवं वित्तीय कुशलता में सुधार के उदेश्य से ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार ने ऊर्जा वितरण कंपनियों में वित्तीय बदलाव के लिए उज्जवल डिस्कॉम आश्वासन योजना (उदय) का शुभारंभ किया (नवम्बर 2015)।

[28] बिहार राज्य बीज निगम लिमिटेड, बिहार राज्य हाइड्रोइलेक्ट्रिक कॉर्पोरेशन लिमिटेड, बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम लिमिटेड, बिहार स्टेट वारहाउसिंग कॉर्पोरेशन और बिहार राज्य खनिज विकास निगम लिमिटेड

वित्तीय और परिचालन लक्ष्य निर्धारण के उपरान्त इस योजना के कार्यान्वयन के लिए ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार, झारखण्ड सरकार एवं झारखण्ड बिजली वितरण निगम (जेबीवीएनएल) के बीच एक त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन (एमओयू) हस्ताक्षरित (जनवरी 2016) किया गया।

एमओयू के अनुसार, निर्धारित प्रमुख वित्तीय और परिचालन लक्ष्यों के संबंध में हासिल की गई प्रगति एवं उपलब्धि को ***परिशिष्ट 1.8*** में वर्णित किया गया है।

एमओयू के अनुसार, झारखण्ड सरकार द्वारा जेबीवीएनएल का बकाया ऋण ₹ 6,136.37 करोड़ को 2015-16 के दौरान अनुदान देकर ले लेना था। लेकिन झारखण्ड सरकार ने इस राशि को ऋण के रूप में उपलब्ध कराया जिसके फलस्वरूप कंपनी को ₹ 797.73 करोड़[29] का वार्षिक ब्याज दायित्व का निर्माण हुआ जो कि एमओयू का उल्लघंन था। इसके अलावा झारखण्ड सरकार द्वारा कंपनी को 2016-17 के लिए ₹ 292 करोड़ का अनुदान देय था जो अभी तक (जुलाई 2018) नहीं दिया गया है।

जहाँ तक जेबीवीएनएल के लक्ष्यों का संबंध है, यह वित्तीय लक्ष्यों जैसे तकनीकी एवं व्यावसायिक (एटी एडं सी) हानि, विपत्रीकरण कुशलता और संग्रहण कुशलता को प्राप्त करने में विफल रही। परिचालन लक्ष्यों के मामले में जेबीवीएनएल की स्थिति और भी असंतोषजनक था। यह वितरण ट्रांसफार्मर मिट्रिरिंग (ग्रामीण), ग्रामीण फिडर का अंकेक्षण, स्मार्ट मिटिरिंग और वैसे घरों में जहाँ विद्युत संबंध नहीं था, विद्युत पहुँचाने में निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर सका।

[29] 13 प्रतिशत वार्षिक की दर पर